राधिका झा
आई०ए०एस०
राज्य परियोजना निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान,
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून ।
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष : 0135–2781944 फैक्स : 2781944
टोल फ्री नं0: 1800 180 4132

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा),
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– एम0डी0एम / 04 / 550 / 2013–14 दिनांक 29 नवम्बर, 2013

विषयः– मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कोटिकरण हेतु जनपदों को शासनादेश उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्रांक शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक, 26 नवम्बर, 2013 द्वारा कोटिकरण हेतु शासनादेश संख्या–1301/XXIV(1)/2013-25/207 T.C. दिनांक 26 नवम्बर, 2013 आपको इस आशय के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कि शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों का त्वरित गति से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, साथ ही प्रत्येक त्रैमास पर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0 / एम0डी0एम0 / 04 / 550-55 / 2013–14 तद्दिनांक ।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1) प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
3) निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक / अकादमिक शोध एवं मूल्यांकन, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1301 /XXIV(1)2013-25/207 T.C.

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा देहरादून।

शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक, 26 नवम्बर, 2013**

विषय:मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत योजना के विभिन्न निष्पादन सूचकों (Performance Indicator) के त्रैमासिक विश्लेषण के आधार पर विद्यालय, विकासखण्ड व जनपदों को श्रेणी (Rank) प्रदान करते हुए कोटिकरण (Grading) करने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मानव संसाधान विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन, भारत सरकार, शास्त्री भवन,. नई दिल्ली के पत्र No-3-11/2013 MDM2-1 दिनांक 22.08.2013 के अनुकम में प्रेषित अपने पत्र संख्या–एम0डी0एम0 /21/454/2013–14 दिनांक 28–10–2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– मध्याह्न भोजन योजना के परिप्रेक्ष्य में कोटिकरण करते हुए खराब प्रदर्शन वाले विद्यालय/विकासखण्डों एवं जनपदों की पहचान कर उनमें योजना के बेहतर कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करते हुए योजना का बेहतर प्रबन्धन, कियान्वयन, अनुरक्षण किया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के दृष्टिगत मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कोटिकरण कार्य हेतु निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है।

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कोटिकरण कार्य तीन स्तरों पर सम्पादित किया जायेगाः–

<u>(1)–प्रथम स्तर–विकासखण्ड द्वारा विद्यालयों का कोटिकरणः</u>

(I)–कोटिकरण कार्य हेतु प्रथम त्रैमास माह–अप्रैल से जून, द्वितीय त्रैमास माह–जुलाई से सितम्बर, तृतीय त्रैमास माह–अक्टूबर से दिसम्बर तथा चतुर्थ त्रैमास माह–जनवरी से मार्च तक होगा।

(II)–संकुल समन्वयक द्वारा विद्यालयों का कोटिकरण कार्य सम्पादित कर आगामी माह के प्रथम सप्ताह तक विद्यालयवार संकलित सूची, विकासखण्ड समन्वयक को उपलब्ध कराई जानी है। विकासखण्ड समन्वयक द्वारा विद्यालयवार/संकुलवार सूची संकलित कर उसी माह के आगामी सप्ताह तक जनपद को उपलब्ध कराई जानी है। जनपद द्वारा समस्त विकासखण्ड के कोटिकरण की सूची को उसी माह के आगामी सप्ताह तक मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय स्तर पर शत–प्रतिशत कोटिकरण का कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व संकुल समन्वयक का होगा।

(III)–प्रत्येक त्रैमास में संकुल समन्वयक द्वारा संलग्नक **"विद्यालय स्तरीय**

कोटिकरण प्रारूप" के अनुसार निम्नलिखित श्रेणीकरण तालिका (Ranking Table) में वर्णित विभिन्न सूचकों (Indicator) के अनुसार उनके सम्मुख अंकित अधिकतम अंको में से अंक प्रदान करते हुए, विद्यालय को श्रेणी (Rank) प्रदान की जानी है।

"विद्यालय स्तरीय श्रेणीकरण तालिका"

बच्चों/भोजनमाता के हाथ धोने हेतु साबुन की उपलब्धता	अंक 5	
मासिक औसत लाभार्थी का प्रतिशत	अंक 5	
विद्यालय के कार्य दिवसों के सापेक्ष योजना का संचालन	अंक 5	
विद्यालय में कुकिंग कॉस्ट की अग्रिम उपलब्धता	अंक 5	
विद्यालय में खाद्यान्न की अग्रिम उपलब्धता	अंक 5	
सस्ते गल्ले विक्रेता को खाद्यान्न मूल्य का नियमित भुगतान	अंक 5	
भोजनमाता को नियमित मानदेय भुगतान	अंक 5	
विद्यालय द्वारा छः प्रपत्रों को नियमित सकुल समन्वयक को उपलब्ध कराना	अंक 5	
सकुल समन्वयक को छोड़कर अन्य अधिकारियों द्वारा विद्यालय का नियमित अनुश्रवण	अंक 5	
ाद्यालय में फ्लूड टेस्ट रजिस्टर/खाना परोसने से पूर्व खाना चखना	अंक 5	
खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण	अंक 5	
द्यालय प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक एवं सामुदायिक सहभागिता	अंक 5	
किचन कम स्टोर का निर्माण/उपलब्धता	अंक 5	
पीने के पानी के भण्डारण एवं इस्तेमाल में आने वाले शौचालयों की व्यवस्था	अंक 5	
खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था	अंक 5	
सम्भावित दुर्घटनाओं पर आपातकालीन योजना	अंक 5	
योजना से सम्बन्धित शिकायत निवारण की प्रक्रिया	अंक 5	
स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम/Weekly Iron Folic Acid Supplement कार्यक्रम	अंक 5	
साप्ताहिक मीनू/टॉल फ्री नम्बर/आपातकालीन नम्बर/LOGO का प्रदर्शन	अंक 5	
चन उपकरण, खाना पकाने/परोसने व खाने के बर्तनों की उपलब्धता	अंक 5	
अंको का योग	100	
रैंक (हा)		

विद्यालय की श्रेणी (rank) का आंकलन निम्नानुसार किया जाएगा–

श्रेणी A-उत्कृष्ट	श्रेणी B-अति उत्तम	श्रेणी C-उत्तम	श्रेणी D-औसत	श्रेणी E-खराब
प्राप्तांक 90% या 90% से अधिक	प्राप्तांक 80% से 89% के मध्य	प्राप्तांक 70% से 79% के मध्य	प्राप्तांक 60% से 69% के मध्य	59% से कम

(I)–संकुल समन्वयक द्वारा प्रत्येक त्रैमास में विद्यालयों का कोटिकरण कर विद्यालयों की नामवार सूची विकासखण्ड समन्वयक को उपलब्ध कराई जाएगी। मूल कोटिकरण प्रपत्र विद्यालय में ही संरक्षित रहेगा। मूल कोटिकरण प्रपत्रों की जाँच समय–समय पर अनुश्रवण करने वाले अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

(II)–विद्यालय स्तर पर पाई गई कमियों का निराकरण, विद्यालय स्तर पर प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कमी का समाधान इस स्तर पर सम्भव नहीं है, तो इसका प्रस्ताव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(2) <u>द्वितीय स्तर–जनपद द्वारा विकासखण्ड का कोटिकरण:</u>

(I)–विकासखण्ड समन्वयक/मध्याह्न भोजन योजना का कार्य देख रहे समन्वयक द्वारा अपने विकासखण्ड से सम्बन्धित समस्त संकुलों के विद्यालयों की नामवार सूची का संकलन/सूचीबद्ध विवरण तैयार किया जाएगा तथा विकासखण्ड की विद्यालयवार/नामवार कोटिकरण सूची जनपद को उपलब्ध करा दी जाएगी।

.....3/

(II)–विकासखण्ड स्तर पर पाई गई कमियों का निराकरण, विकासखण्ड स्तर पर प्रत्येक त्रैमास में अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली विकासखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की बैठक में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कमी का समाधान इस स्तर पर सम्भव नहीं है तो इसका प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को प्रेषित किया जाएगा। विकासखण्ड स्तर पर शत–प्रतिशत कोटिकरण का कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा।

(III)–जनपद के एम0आई0एस0 समन्वयक/मध्याह्न भोजन योजना का कार्य देख रहे समन्वयक के द्वारा संकुलवार/विकासखण्डवार संकलित व सूचीबद्ध कोटिकरण का विश्लेषण कर निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार अपने जनपद के विकासखण्डों को श्रेणी प्रदान की जाएगी।

जनपद स्तरीय कोटिकरण का उदाहरण

विकासखण्ड का नाम	श्रेणी A विद्यालयों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी B विद्यालयों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी C विद्यालयों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी D विद्यालयों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी E विद्यालयों की संख्या अथवा प्रतिशत	विकासखण्ड की श्रेणी
विकासखण्ड–1	5	4	3	2	1	A
विकासखण्ड–2	4	3	2	1	5	B
विकासखण्ड–3	3	2	1	4	5	C
विकासखण्ड–4	2	1	5	4	3	D
विकासखण्ड–5	1	2	3	4	5	E

(IV)–जनपद स्तर पर शत–प्रतिशत कोटिकरण का कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) का होगा। जनपद स्तर पर पाई गई कमियों का निराकरण, जनपद स्तर पर प्रत्येक त्रैमास में वरिष्ठ माननीय सांसद/विधायक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की बैठक में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कमी का समाधान इस स्तर पर सम्भव नहीं है तो इसका प्रस्ताव राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित किया जाएगा।

(3)<u>तृतीय स्तर–प्रदेश द्वारा जनपद स्तरीय कोटिकरण:</u>

(I)–प्रदेश के मध्याह्न भोजन योजना के एम0आई0एस0 समन्वयक/कोटिकरण का कार्य देख रहे समन्वयक द्वारा समस्त जनपदों से सम्बन्धित समस्त विकासखण्डों के कोटिकरण का विकासखण्डवार/जनपदवार संकलन/सूचीबद्ध विवरण तैयार किया जाएगा।

(II)–प्रदेश द्वारा जनपदवार संकलित व सूचीबद्ध कोटिकरण का विश्लेषण कर निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार जनपदों को श्रेणी प्रदान की जाएगी।

प्रदेश स्तरीय कोटिकरण का उदाहरण

जनपद का नाम	श्रेणी A विकासखण्डों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी B विकासखण्डों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी C विकासखण्डों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी D विकासखण्डों की संख्या अथवा प्रतिशत	श्रेणी E विकासखण्डों की संख्या अथवा प्रतिशत	जनपद की श्रेणी
जनपद–1	5	4	3	2	1	A

जनपद–2	4	3	2	1	5	B
जनपद–3	3	2	1	4	5	C
जनपद–4	2	1	5	4	3	D
जनपद–5	1	2	3	4	5	E

(III)–प्रदेश स्तर पर पाई गई कमियों का निराकरण, प्रदेश स्तर पर प्रत्येक छमाही में वरिष्ठ माननीय सांसद / विधायक की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली प्रदेश स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की बैठक में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी कमी का समाधान इस स्तर पर सम्भव नहीं है तो इसका प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

(IV)–प्रत्येक त्रैमास के अन्त में प्रदेश / भारत सरकार को भी कोटिकरण के कार्य से अवगत कराया जाएगा तथा कोटिकरण में पाई गई कमियों के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया जाएगा।

(V)–विद्यालय / विकासखण्ड / जनपद व प्रदेश स्तर पर कोटिकरण प्रारूप के मुद्रण / संकलन / सारणीबद्ध / कम्प्यूटीकरण करने पर आने वाला समस्त व्ययभार प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एम0एम0ई0 मद (Management, Monitoring & Evaluation-MME) से वहन किया जाएगा।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में प्रदेश के जनपदों / विकासखण्डों / विद्यालयों में प्रत्येक हस्तक्षेप (Intervention) की उपयुक्त स्थिति प्राप्त की जा सके तथा उनकी श्रेणी (Rank) में अपेक्षित सुधार किया जा सके।

<u>संलग्नक–कोटिकरण प्रारूप।</u>

भवदीय

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर सचिव, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके उक्त पत्र दिनांक 22.08.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ / अवगतार्थ प्रेषित।

2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– निदेशक, अकादमिक, शोध एवं मूल्यांकन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

मध्याह्न भोजन योजना–विद्यालय स्तरीय कोटिकरण प्रपत्र

माह व वर्ष का नाम–

जनपद का नाम – ....

1. विद्यालय का नाम – विकासखण्ड– संकुल–

2. विद्यालय का प्रकार– प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (हाईस्कूल, इण्टर सहित)/एन0आर0एस0टी/मदरसा/एन0सी0एल0पी0–

3. विद्यालय का प्रबन्धन–राजकीय/स्थानीय निकाय/सहायता प्राप्त–

1	बच्चों/भोजनमाता के हाथ धोने हेतु साबुन की उपलब्धता	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	साबुन की उपलब्धता है तथा बच्चे खाने से पूर्व/पश्चात् नियमित साबुन से हाथ धो रहे हैं	4	
ii)	साबुन उपलब्ध है परन्तु बच्चे नियमित हाथ नहीं धो रहे हैं	1	
iii)	साबुन उपलब्ध नहीं है	0	
2	मासिक औसत लाभार्थी का प्रतिशत	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	माह में औसत लाभार्थी संख्या 90 से 100 प्रतिशत के मध्य है	4	
ii)	51 से 89 प्रतिशत के मध्य है	1	
iii)	50 प्रतिशत से कम है	0	
3	विद्यालय के कार्य दिवसों के सापेक्ष योजना का संचालन	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	माह में सम्पूर्ण कार्य दिवसों में योजना संचालित रही	4	
ii)	माह में सम्पूर्ण कार्य दिवसों के सापेक्ष योजना एक दिन कम संचालित रही	1	
iii)	माह में सम्पूर्ण कार्य दिवसों के सापेक्ष योजना दो दिन कम संचालित रही	0	
4	विद्यालय में कुकिंग कॉस्ट की अग्रिम उपलब्धता	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	एक माह से अधिक का कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध है	3	
ii)	15 दिनों से एक माह के मध्य का कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध है	2	
iii)	15 दिनों से कम का कुकिंग कॉस्ट उपलब्ध है	0	
5	विद्यालय में खाद्यान्न की अग्रिम उपलब्धता	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	एक माह से अधिक तक का अग्रिम स्टॉक उपलब्ध है	3	
ii)	15 दिनों से एक माह के मध्य तक का अग्रिम स्टॉक उपलब्ध है	2	
iii)	15 दिनों से कम का अग्रिम स्टॉक उपलब्ध है	0	
6	सस्ते गल्ले विक्रेता को खाद्यान्न मूल्य का नियमित भुगतान	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	सस्ते गल्ले विक्रेता का ढुलान का कोई भुगतान लम्बित नहीं है	4	
ii)	विगत 1 माह का ढुलान का भुगतान लम्बित	1	
iii)	1 माह से अधिक के ढुलान का भुगतान लम्बित है	0	
7	भोजनमाता को नियमित मानदेय भुगतान	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	भोजनमाता का कोई भुगतान लम्बित नहीं है	4	
ii)	एक माह का भुगतान लम्बित है	1	
iii)	दो माह से भुगतान नहीं किया है	0	
8	विद्यालय द्वारा MIS प्रपत्रों को नियमित संकुल समन्वयक को उपलब्ध कराना	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	प्रत्येक माह का एम0आई0एस0 प्रपत्र संकुल समन्वयक को उपलब्ध करा दिया गया है	4	
ii)	विगत माह का एम0आई0एस0 प्रपत्र संकुल समन्वयक को उपलब्ध नहीं कराया गया है	1	
iii)	विगत दो माहों का एम0आई0एस0 प्रपत्र संकुल समन्वयक को उपलब्ध नहीं कराया गया है	0	
9	संकुल समन्वयक को छोड़कर अन्य अधिकारियों द्वारा विद्यालय का अनुश्रवण	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा विद्यालय का विगत तीन माह में अनुश्रवण किया गया हो	4	
ii)	अधिकारी/जनप्रतिनिधि द्वारा विद्यालय का विगत छः माह में अनुश्रवण किया गया हो	1	
iii)	विगत छः माह से अधिक समय से अनुश्रवण न किया गया हो	0	
10	विद्यालय में "फूड टेस्ट रजिस्टर"/खाना परोसने से पूर्व खाना चखना	कुल अंक	प्राप्तांक
i)	रजिस्टर उपलब्ध हो व प्रत्येक दिन खाना चखने के पश्चात् हस्ताक्षर किये जा रहे हों	4	
ii)	रजिस्टर उपलब्ध हो व प्रत्येक दिन खाना चखने के पश्चात् हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हों	1	
iii)	रजिस्टर उपलब्ध न हो	0	

11 खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण	कुल अंक	प्राप्तांक
i) विद्यालय में साफ सुथरा खाने योग्य (Fair Average Quality) चावल उपलब्ध है	4	
ii) विद्यालय में साफ सुथरा खाने योग्य (Fair Average Quality) चावल उपलब्ध नहीं है	1	
12 विद्यालय प्रबन्धन समिति की मासिक बैठक एवं सामुदायिक सहभागिता	कुल अंक	प्राप्तांक
i) SMC की मासिक बैठक कराई जा रही है व MDM के एजेण्डे पर कार्यवाही की जा रही है	4	
ii) विगत दो माह से बैठक न हुई हो	1	
iii) विगत तीन माह से बैठक नहीं हो रही हो	0	
13 किचन कम स्टोर का निर्माण/उपलब्धता	कुल अंक	प्राप्तांक
i) किचन कम स्टोर उपलब्ध है तथा प्रयोग किया जा रहा है	4	
ii) किचन कम स्टोर निर्माणाधीन है/कच्चा किचन शेड उपलब्ध है	1	
iii) किचन कम स्टोर उपलब्ध है परन्तु उसका प्रयोग खाना पकाने में नहीं किया जा रहा है	0	
14 पीने के पानी के भण्डारण एवं इस्तेमाल में आने वाले शौचालयों की व्यवस्था	कुल अंक	प्राप्तांक
i) पीने के पानी के भण्डारण यथा पक्की टकी, पानी की टकी/बाल्टि आदि उपलब्ध है	3	
ii) शौचालय उपलब्ध है तथा प्रयोग किया जा रहा है	2	
iii) शौचालय उपलब्ध है तथा प्रयोग में नहीं है/ताला लगा हो	0	
15 खाद्यान्न के भण्डारण की व्यवस्था	कुल अंक	प्राप्तांक
i) खाद्यान्न का भण्डारण निकासी युक्त धातु के ग्रेनबिन/बक्सों में किया जा रहा हो	4	
ii) खाद्यान्न का भण्डारण बोरों में किया जा रहा हो	1	
iii) दोनों व्यवस्थाएँ न हों	0	
16 सम्भावित दुर्घटनाओं पर आपातकालीन व्यवस्था	कुल अंक	प्राप्तांक
i) खण्ड शिक्षा अधिकारी/निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र/डॉक्टर का दूरभाष नम्बर, विद्यालय/किचन कम स्टोर की दीवार पर पेण्ट से अंकित है	2	
ii) आग से बचाव के उपाय पानी की बाल्टी/रेत व मिट्टी से भरी बाल्टी अथवा अग्निशामक उपकरण उपलब्ध है	2	
iii) प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध है	1	
iv) कोई व्यवस्था नहीं है	0	
17 योजना से सम्बन्धित शिकायत निवारण की प्रक्रिया	कुल अंक	प्राप्तांक
i) प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एस0एम0सी0 की बैठक के माध्यम से किया जा रहा है	3	
ii) शिकायतों को निस्तारण के लिए विकासखण्ड में प्रेषित किया जा रहा है	2	
iii) शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है	0	
18 स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम/Weekly Iron Folic Acid Supplement-WIFS कार्यक्रम	कुल अंक	प्राप्तांक
i) स्वास्थ्य कार्ड है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, निशुल्क दवाईयां वितरित हो रही है	4	
ii) स्वास्थ्यकार्ड है परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जा रहा है	1	
iii) स्वास्थ्य कार्ड नहीं है	0	
19 साप्ताहिक मीनू/टॉल फ्री नम्बर/LOGO का प्रदर्शन	कुल अंक	प्राप्तांक
i) एम0डी0एम0 का टॉल फ्री नम्बर, लोगो तथा साप्ताहिक मीनू विद्यालय/किचन कम स्टोर की दीवार पर पेण्ट से अंकित है	3	
ii) केवल टॉल फ्री नम्बर व साप्ताहिक मीनू अंकित है	2	
iii) केवल लोगो अंकित है	0	
20 किचन उपकरण, खाना पकाने/परोसने व खाने के बर्तनों की उपलब्धता	कुल अंक	प्राप्तांक
i) किचन उपकरण, खाना पकाने/परोसने व बच्चों के खाना खाने के बर्तन उपलब्ध है	3	
ii) किचन उपकरण, खाना पकाने/परोसने के बर्तन उपलब्ध है परन्तु खाना खाने के बर्तनों की व्यवस्था बच्चों के द्वारा की जाती है	2	
कुल अंको व प्राप्तांको का योग–	100	

विद्यालय की श्रेणी–

(प्राप्तांक 90 या 90 से ऊपर–A श्रेणी ,प्राप्तांक 80–89 B श्रेणी, प्राप्तांक 70–79 C श्रेणी, प्राप्तांक 60–69 D श्रेणी तथा प्राप्तांक 59 से कम E श्रेणी)

हस्ताक्षर–प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
दिनांक–

हस्ताक्षर–संकुल समन्वयक
दिनांक–